पार्टनरशिप डीड में भू-संपदा के पंजीयन के लिए आवश्यक प्रावधान

प्राधिकरण द्वारा पाया गया है कि पार्टनरशिप फर्म के प्रमोटर के द्वारा प्रोजेक्ट के पंजीयन हेतु प्रस्तुत होने वाला आवेदन पत्रों में पार्टनरशिप डीड में फर्म के विघटन की दशा में आवंटितियों के हित की सुरक्षा के लिए प्रावधान प्रायः नहीं होते। अतः निर्णय लिया गया कि पार्टनरशिप डीड में विघटन के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान जोड़ा जावे–

परन्तुक–

पार्टनरशिप एक्ट की धारा 42(बी) अनुसार रेरा अधिनियम 2016 के अंतर्गत प्रोजेक्ट का कार्य पूर्ण होने के पूर्व फर्म का विघटन नहीं किया जायेगा, एवं फर्म के सभी भागीदार संयुक्त रूप से एवं पृथक-पृथक प्रोजेक्ट की पूर्णता के लिए आबंटियों के प्रति उत्तरदायी होगें।

अंग्रेजी में –

Provided that the partnership firm shall be dissolved only subject to Section 42(b) of the Partnership Act, and no dissolution shall take place till all projects registered under Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 are completed, and all partners of the firm shall be jointly and severally responsible to the allottees of the project for its completion.